

  
 भारत का राजपत्र  
 The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, शुक्रेवार, दिसम्बर 31, 1999/पौष 10, 1921  
No. 114] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1999/PAUSA 10, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

सं. न. 1/18(28)/99-सी.ई.आर.सी.—विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 14) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1 इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग [परामर्शदाताओं की नियुक्ति] विनियम, 1999 कहा जाएगा।

1.1.1 ये विनियम दिनांक 21 सितम्बर, 1999 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो-

1. 'अधिनियम' से तात्पर्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 है।

2. 'आयोग' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 1.1 के तहत गठित केन्द्रीय आयोग से है।

3. 'परामर्शदाता' में कोई व्यक्ति, फर्म, निकाय या एसोसिएशन अथवा व्यक्ति जो इस आयोग में कार्यरत नहीं है तथा जिसके पास कोई विशिष्ट जानकारी, अनुभव या दक्षता है, समाविष्ट है।

4. 'अधिकारी' से तात्पर्य इस आयोग का कोई अधिकारी है।

5. 'सचिव' से तात्पर्य आयोग का सचिव है।

[2] इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में वे परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

### 3. कार्यक्षेत्र

[1] परामर्शदाताओं की नियुक्ति सामान्यतः दिन-प्रतिदिन के नेमी कार्य जिनके लिए स्टाफ उपलब्ध है, के लिए नहीं की जाएगी।

[2] परामर्शदाताओं को विशिष्ट कार्य, जिनके लिए या तो व्यय में निपुण स्टाफ उपलब्ध नहीं है अथवा जहां पर कार्य की किस्म विशिष्ट और समयबद्ध है, के लिए नियुक्त किया जाएगा।

[3] प्रत्येक मामले में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने से पहले परामर्शदाता और व्यय के बीच सहमति के अनुसार विस्तृत शर्तें तय की जाएंगी।

[4] विनियोजन की शर्तों में परामर्शदाता द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्य की सही किस्म, प्रत्येक कार्य की पूर्णता के लिए अनुज्ञेय समय तथा प्रत्येक कार्य के संबंध में परामर्शदाता द्वारा पूर्ण किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

### 4. विनियोजन की अवधि

परामर्शदाताओं को न्यूनतम अपेक्षित अवधि के लिए विनियोजित किया जाएगा। किसी भी मामले में अधिकतम विनियोजन अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### 5. परामर्शदाताओं का वर्गीकरण

[1] परामर्शदाताओं को नीचे दी गई शर्तों के अनुसार उनकी सुविज्ञता तथा अनुभव के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा:-

श्रेणी	न्यूनतम अर्हताएँ	न्यूनतम अनुभव
सलाहकार	दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	15 वर्ष
सलाहकार	स्नातकोत्तर उपाधि	18 वर्ष
वरिष्ठ परामर्शदाता	दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	8 वर्ष
वरिष्ठ परामर्शदाता	स्नातकोत्तर उपाधि	12 वर्ष
परामर्शदाता	दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि	3 वर्ष
परामर्शदाता	स्नातकोत्तर उपाधि	5 वर्ष

नोट: श्रेणियाँ, सेवाशर्तों तथा इतिहास के मामले में न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ संगत व्यावहारिक अर्हताएँ होंगी।

[2] आयोग उपयुक्त मामलों में लिखित रूप में कारणों को अभिलेख-बद्ध करके, परामर्शदाता के रूप में विचार किए जा रहे व्यक्ति की समग्र सुविज्ञता तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अधिक योग्यता में छूट दे सकता है।

#### 6. शुल्क एवं अन्य प्रभार

[1] प्रत्येक श्रेणी के परामर्शदाता को नीचे दी गई दरों पर एक समेकित शुल्क देय होगा।

[2] समेकित शुल्क के अलावा कोई अन्य अदायगी नहीं की जाएगी। अपवाद के रूप में आकस्मिक खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि जो देय शुल्क की 10 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी, का भुगतान किया जा सकता है।

[3] जिन मामलों में परामर्शदाताओं को यात्रा तथा निवास स्थान से दूर रहने के कारण अधिक खर्च करना पड़ता है, उनमें आयोग नीचे सारणी में यथा-इंगित अतिरिक्त खर्च की दैनिक भत्ते के रूप में एकमुश्त राशि में प्रतिपूर्ति करेगा जिसका निर्धारण प्रत्येक मामले में यथा-समुचित होगा। यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति समुचित यात्रा श्रेणी द्वारा अलग से की जाएगी जो भारत सरकार के 'क' श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के लिए अनुज्ञेय श्रेणी से कम नहीं होगी।

श्रेणी	प्रति श्रम दिवस शुल्क	दैनिक भत्ते के लिए प्रतिदिन एकमुश्त राशि
सलाहकार	3000/-रुपए	2000/रुपए
वरिष्ठ परामर्शदाता	2000/रुपए	1500/रुपए
परामर्शदाता	1200/-रुपए	1000/रुपए

[4] देय शुल्क देय विनियम परामर्शदाताओं के रूप में विनियोजित पूर्व तथा सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे।

[5] एक संस्थान परामर्शदाता के मामले में अलग-अलग परामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरों को प्रस्ताव में परामर्शदाता समय के लिए आर्बिट्रेट लागत के औचित्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। परामर्शदाता समय के लिए लागत के अलावा टेलीफोन, फोटो कापी, फेक्स पर खर्च आदि जैसे कार्यालय व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च के रूप में देय शुल्क की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि

स्वीकार्य होगी। संस्थानत परामर्शदाता के मामले में आकस्मिक खर्च के लिए सीमा, कार्यालय व्यय की अनुज्ञेय अतिरिक्त राशि के अलावा परामर्शदाता को देय शुल्क का 10 प्रतिशत होगी।

#### 7. परामर्शदाताओं की नियुक्ति

[1] विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु शर्तों, एवं निबन्धन, आयोग के एक अधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी तथा उसे आयोग का अनुमोदन लेने के लिए सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

[2] सचिव प्रस्ताव को आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि इसके लिए बजटीय प्रवधान है।

[3] शर्तों, एवं निबन्धन में वर्णित सेवाएँ उपलब्ध बजट के समरूप होंगी।

[4] आयोग यह निर्णय करेगा कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों को संयुक्त रूप में आमंत्रित किया जाए अथवा दोनों को पृथक रूप में आमंत्रित किया जाए।

[5] आयोग तकनीकी निविदाओं के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करेगा।

[6] आयोग द्वारा शर्तों, एवं निबन्धन के अनुमोदन के पश्चात, सचिव इच्छुक परामर्शदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए जारी किया जाने वाला अनुरोध पत्र तैयार करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मामले में व्यापक प्रचार किया जाए। तथापि, उन मामलों में सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा जिनमें शुल्क मूल्य दो लाख रूपए से कम हो।

#### 8. प्रस्तावों के लिए अनुरोध

किसी प्रस्ताव के लिए अनुरोध में निम्नलिखित समाविष्ट होगा:-

[क] परामर्शी सेवाओं के प्रवधान के लिए अनुबंध करने, निधि स्रोत, योजना का विवरण तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तारीख, समय और पता बताते हुए आयोग का एक आमन्त्रण पत्र।

[ख] परामर्शदाताओं के लिए सूचना में वह सभी आवश्यक सूचना निहित होगी जिसे परामर्शदाताओं को मूल्यांकन प्रक्रिया पर सूचना मुहैया करवाकर तथा मूल्यांकन मानदंड और मुद्रक संबंधित जानकारी व न्यूनतम पूर्व-अर्हता अंक का उल्लेख करके अनुक्रियात्मक प्रस्ताव तैयार करनेमें सहायता मिले।

[1] शर्तों को विनियोजन के उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र और विद्यमान संगत अध्ययनों की सूची समेत पूर्व प्राप्त सूचना व परामर्शदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने में सुविधा हेतु आधारभूत द्रव्य को स्पष्ट परिभाषित करके तैयार किया जाएगा। अगर जानकारी हस्तांतरण, प्रशिक्षण उद्देश्य है तो शर्तों में प्रशिक्षित किए जाने वाले स्टाफ सदस्यों की संख्या दी जाएगी। शर्तों में सेवाओं तथा विनियोजन के लिए किए जाने वाले आवश्यक सर्वेक्षणों और प्रत्याशित परिणामों [उदाहरणार्थ, रिपोर्टें, डेटा, सर्वेक्षण आदि] की सूची होगी।

[2] प्रारूप संविदा अनुसूची-1 में क्या-प्रपत्र के अनुरूप होंगी।

#### 9. प्रस्तावों की प्राप्ति

[1] परामर्शदाताओं को अपने प्रस्ताव तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यद्यपि अनुज्ञेय अवधि विनियोजन पर निर्भर करेगी, तथापि यह अवधि दो सप्ताह से कम नहीं होगी जिसके दौरान शर्तों में प्रावधित सूचना के बारे में फर्म स्पष्टीकरण माँग सकती हैं।

[2] आयोग अगर उचित समझता है तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा सकता है।

[3] आयोग द्वारा नियुक्त एक वार्ता समिति के अलावा समय-सीमा के पश्चात तकनीकी अथवा वित्तीय प्रस्ताव में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे। जिन मामलों में आयोग यह विनिर्धारित करता है कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत किए जाने हैं तो वे पृथक मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

#### 10. प्रस्तावों का मूल्यांकन

प्रस्तावों का मूल्यांकन गुणवत्ता तथा लागत दोनों के आधार पर किया जाएगा। जिन मामलों में आयोग यह निर्णय लेता है कि प्रस्तावों को तकनीकी तथा वित्तीय आधार पर अलग-अलग मूल्यांकित किया जाना है तो तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांककों द्वारा जब तक तकनीकी मूल्यांकन पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक वे वित्तीय प्रस्तावों को नहीं देख सकेंगे।

## 11. तकनीकी मूल्यांकन

11] तकनीकी मूल्यांकन, आयोग द्वारा नामित एक समिति द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड को 1 से 100 तक के पैमाने पर चिह्नित किया जाएगा तथा तब प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों की औसत का निम्नलिखित परि सीमाओं में तकनीकी निर्लेखन के लिए तोलन किया जाएगा जिसे प्रत्येक प्रस्ताव के लिए तोलित औसत तकनीकी निर्लेखन के परिकलन के लिए आयोग के अनुमोदन से तकनीकी समिति द्वारा प्रयुक्त किया जाएगा:-

मानदंड	तोलन परि सीमाएँ
विनियोजन के लिए परामर्शदाता का संमत अनुभव	0.10 से 0.20 तक
प्रस्तावित पद्धति-विज्ञान की मृषवत्ता	0.20 से 0.50 तक
प्रस्तावित मुख्य स्टाफ की अर्हताएँ	0.30 से 0.60 तक
आयोग के स्टाफ को जानकारी हस्तांतरण की सीमा	0.00 से 0.05 तक

नोट: आयोग द्वारा अनुमोदित भार-मिश्र का योग 1 होना चाहिए।

13] जिन मामलों में विनियोजन, मुख्यतः मुख्य स्टाफ के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है वहाँ प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड अपनाकर नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्टाफ की अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा:-

क] सामान्य अर्हताएं: सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धारित पद, परामर्शदात्री फर्म के साथ स्टाफ के रूप में सेवा अवधि, विकासशील देशों में अनुभव आदि।

ख] विनियोजन के लिए पर्याप्तता: शिक्षा, प्रशिक्षण, विशिष्ट उद्योग, क्षेत्र, विषय में अनुभव तथा विशिष्ट विनियोजन के लिए संततता।

[3] क्षेत्रीय अनुभव: स्थानीय/क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र, संगठन तथा संस्कृति की जानकारी ।

[4] तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो जाने के पश्चात आयोग उन परामर्शदाताओं का जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हताओं को पूरा नहीं करते अथवा जिन्हें शर्तों के अनुकूल नहीं समझा गया है, को सूचित करेगा और चयन प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उनके वित्तीय प्रस्तावों को बिना खोले वापिस लौटा देगा । इसके साथ-साथ, उन परामर्शदाताओं जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं, उन परामर्शदाताओं को अगर वह इच्छा रखते हैं, तो वित्तीय प्रस्तावों को खोलने के समय पर उपस्थित रहने के लिए पर्याप्त समय रहते सूचित करेगा ।

#### 12. वित्तीय मूल्यांकन

[1] पूर्व-अर्हता प्राप्त परामर्शदाताओं के वित्तीय प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से खोले जाएंगे । प्रस्तावित मूल्यों को ऊँची आवाज में पढ़ा जाएगा तथा उनका अभिलेखन सार्वजनिक बोली के कार्यवृत्त में किया जाएगा ।

[2] सचिव वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । शपथीय त्रुटियों को ठीक किया जाएगा । एक समान विक्रय [विनिमय] दरों का प्रयोजन करके लागत को एक ही मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा ।

[3] न्यूनतम लागत वाले प्रस्ताव को 100 का वित्तीय अंक दिया जाएगा तथा अन्य प्रस्तावों को उनके मूल्यों के प्रतिलोम अनुपात में वित्तीय अंक दिए जाएंगे ।

#### 13. वित्तीय एवं तकनीकी अंकों का मूल्यांकन:

[1] कुल अंक, तकनीकी तथा वित्तीय अंकों के तोलन तथा उन्हें जोड़कर प्राप्त किए जाएंगे । वित्तीय अंक के लिए तोलन, विनियोजन की जटिलता तथा बुधवत्ता के सम्बन्ध महत्व को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा निर्धारण के अनुसार होगा । तथापि, किसी भी मामले में वित्तीय अंक तोलन 0.3 से अधिक नहीं होगा ।

[2] तकनीकी तथा वित्तीय मामलों के लिए आयोग एक वार्ता समिति नियुक्त कर सकता है । जहाँ तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की जानी अपेक्षित हो उसे परामर्शदाताओं की पूर्व-अर्हता से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा । वित्तीय पहलुओं पर बातचीत, स्टाफ महीनों के लिए यूनिट दर, आकस्मिकता राशि, यात्रा तथा निर्वाह व्यय की प्रतिपूर्ति की एकमुश्त राशि तथा अदायगी शर्तों समेत वित्तीय प्रस्ताव के किसी भी पहलू हेतु की जा सकती है ।

[3] आयोग सभी प्रस्तावों को अर्थात् के अनुपालन में बहुत क्रियाएँ अथवा उनमें मूल आकलन से बहुत अधिक लाभ लाने के कारण प्रतिकूल या अनुपयुक्त पाने पर निरस्त कर सकता है ।

#### 14. एकल स्रोत चयन

एकल स्रोत चयन प्रक्रिया का प्रयोग केवल विशिष्ट मामलों में ही किया जाएगा जहाँ उपयुक्त तथा स्पष्ट लाभ परिलक्षित होता हो क्योंकि कार्य, परामर्शदाता द्वारा किए गए पिछले कार्य के अनुक्रम में है, अथवा जहाँ पर शीघ्र चयन किया जाना अनिवार्य है अथवा एक बहुत कम विनियोजन है जहाँ प्रत्येक मामले में देय शुल्क दो लाख रूपए से अधिक नहीं है अथवा केवल एक फर्म की अर्हता प्राप्त है अथवा वह विनियोजन के लिए अनुभव रखती है ।

#### 15. परामर्शदाता विशेष का चयन

प्रत्येक परामर्शदाता की नियुक्ति उन विनियोजनों के लिए की जाएगी जिनके लिए कार्मिकों के दल एवं कोई अतिरिक्त बाहरी गृह कार्यालय व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता न हो तथा संबंधित व्यक्ति का अनुभव तथा योग्यता ही अत्यधिक महत्व रखता हो ।

[2] परामर्शदाता विशेष का चयन विनियोजन के लिए उसकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा । उनका चयन, सन्दर्भ अथवा विनियोजन में रुचि व्यक्त करने वाले अथवा आयोग द्वारा सीधे ही बुलाए गए व्यक्तियों की योग्यता की तुलना के माध्यम से किया जाएगा । कार्यक्षमता का अधिनिर्णय, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव तथा स्थानीय परिस्थितियों, प्रशासनिक तंत्र तथा सरकारी संभठन की जानकारी के आधार पर किया जाएगा ।

#### 16. हित-टकराव

परामर्शदाताओं को किसी भी ऐसे विनियोजन के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे उनके अन्य ग्राहकों के प्रति पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा वे विनियोजन का निर्वाह निष्ठापूर्वक तथा निष्पक्ष रूप से न कर सकें ।

#### 17. आयोग की अंतर्निहित शक्ति

ये प्रावधान आयोग को इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न प्रक्रिया को अपनाने से रोक



नहीं तथा पाएँगे। अगर आयोग किसी मामले अथवा मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करके ऐसा करना आवश्यक समझता है।

18. संशोधन संबंधी सामान्य शक्ति

आयोग किसी भी समय तथा ऐसी शर्तों पर जैसा वह उपयुक्त समझे, इन विनियमों को तैयार करने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकता है।

19. कठिनाइयों को दूर करने संबंधी शक्ति

अगर इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए अधिनियम के प्रावधानों के साथ बिना असंगत हुए आवश्यक अथवा समीचीन जैसी ठीक लगे, कार्रवाई कर सकता है।

अनुसूची-1  
-----

.....के एक पक्ष तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग [इसके पश्चात् इसका संदर्भ 'आयोग'] दूसरे पक्ष के बीच .....गाह के दिन....., को हुए करार के अनुच्छेद ।

जबकि आयोग ने प्रथम पक्ष पार्टी को एक परामर्शदाता के रूप में विनियोजित किया है तथा प्रथम पक्ष पार्टी इसके आगे निहित निबंधन एवं शर्तों पर आयोग को परामर्शी सेवाएँ देने के लिए सहमत है ।

अब ये साक्षी प्रस्तुत करते हैं तथा दोनों संबंधित पक्ष निम्नवत् रूप से सहमत हैं :-

1. प्रथम पक्ष आयोग तथा इसके अधिकारियों एवं प्राधिकारियों जिनके मातहत आयोग समय-समय पर उन्हें रखेगा, के आदेशों का पालन करेगा ।
2. प्रथम पक्ष अनुबंध 'क' में यथानिहित कार्य को.....से शुरू करके.....की अवधि में पूरा करेगा ।
3. प्रथम पक्ष को निम्नवत् भुगतान किया जाएगा: -
4. अदायगी कार्यक्रम निम्नवत् होगा:
5. परामर्शी कार्य के संबंध में स्थानीय यात्रा के लिए प्रथम पक्ष को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।
6. प्रथम पक्ष आयोग द्वारा अथवा आयोग के निर्देश पर किसी अन्य संगठन द्वारा दी गई सूचना तथा आंकड़ों को किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा । ऐसे सभी दस्तावेज और विनियोजन पर रहने के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उसकी जानकारी में आने वाली इस प्रकार की अन्य सूचना आयोग की सम्पत्ति होंगे ।
7. प्रथम पक्ष यह वचन देता है कि इस विनियोजन का उसके अन्य ग्राहकों के प्रति उसके पूर्व अथवा वर्तमान दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही उसे इस विनियोजन के जिम्मेदारीपूर्वक तथा निष्पक्ष निर्वाह में परेशानी होगी ।

8. प्रथम पक्ष द्वारा कार्य के किसी भाग को ऊपर दोनों पक्षों में यथा-सम्मत समय-अनुसूची के भीतर पूरा न किए जाने की अवस्था में दूसरा पक्ष उस कार्य को किसी अन्य अभिकरण से प्रथम पक्ष के जोखिम तथा लागत पर पूरा करवा लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

9. इस करार के तारे में दोनों पक्षों के बीच कोई मतभेद या विवाद होने पर उसे आयोग द्वारा नामित मध्यस्थ को भेजा जाएगा । यह कार्यवाई समय-समय पर यथा-संशोधित मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के तहत की जाएगी ।

10. प्रथम पक्ष को शुल्क का भुगतान, उस समय लागू कानून के अनुरूप स्रोत पर आयकर कटौती के पश्चात किया जाएगा ।

11. आयोग को बिना कोई कारण बताए परामर्शदाता के विनियोजन पर प्रतिबंध लगाने, उसे समाप्त अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा । इस प्रकार के मामलों में प्रथम पक्ष को इस प्रकार के प्रतिबंध, समापन अथवा निरस्तीकरण से पूर्व पूरे किए गए कार्य पर विचार करके प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसका निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा । इस प्रकार के मामले में निर्धारित तथा प्रदत्त प्रतिपूर्ति, अंतिम अदायगी के रूप में मानी जाएगी ।

12. किसी ऐसे मामले जिसका प्राक्खान इस करार में नहीं किया गया है, के संबंध में परामर्शदाताओं के विनियोजन के विषय में सरकार के सामान्य अनुदेशों के प्राक्खानों को लागू किया जाएगा ।

प्रथम पक्ष तथा आयोग की ओर से.....उपर्युक्त के साक्षी के रूप में ऊपर लिखित दिन तथा वर्ष को सहमत हुए ।

.....की उपस्थिति में प्रथम पक्ष.....द्वारा हस्ताक्षरित ।

.....की उपस्थिति में आयोग के लिए तथा आयोग की ओर से.....द्वारा हस्ताक्षरित ।

मंत्री एम. आहलुवालिया, सचिव

[ विज्ञापन 3-4-150, असाधारण/99 ]